लखनऊ में धारा 144 लागू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी **लोकसभा चुनाव और त्योहारों** के मद्देनज़र लखनऊ में **17 मई, 2024 तक** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में आयोजित किया जाएगा।
- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम, राज्य के **पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना बेल्ट से शुरू होगा और पूर्वांचल** में समाप्त होगा जिसे अक्सर **यूपी का चावल का कटोरा** कहा जाता है।
    - **वोटों की गिनती** 4 जून, 2024 को होने वाली है।

CrPC की धारा 144

- यह कानून **भारत में किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट** को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
- यह उन **उपद्रव या किसी घटना के संभावित खतरे के मामलों में लगाया जाता है** जिसमें मानव जीवन को परेशानी या संपत्ति को क्षति पहुँचाने की संभावना होती है।
- यह आदेश किसी **विशिष्ट व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है।**
- **धारा 144 की विशेषताएँ:**
    - यह दिये गए क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के **हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है।**
        - इस तरह के कृत्य के लिये अधिकतम दंड तीन वर्ष है।
    - इस धारा के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार, **जनता की आवाजाही नहीं होगी** और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
    - साथ ही इस आदेश के संचालन की अवधि के दौरान **किसी भी प्रकार की जनसभा या रैलियाँ करने पर पूर्ण रोक होती है।**
    - कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी गैर-कानूनी सभा **को भंग न करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है।**
    - यह अधिकारियों को क्षेत्र में **इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार भी देता है।**
    - धारा 144 का अंतिम उद्देश्य उन **क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है** जहाँ दैनिक गतिविधियों को बाधित करने से परेशानी हो सकती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/section-144-imposed-in-lucknow